रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022020-216372
CG-DL-E-24022020-216372

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 2020/फाल्गुन 2, 1941
No. 52] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2020/PHALGUNA 2, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2020

विषय:- भारत के बाईसवें विधि आयोग का तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करने के संबंध में।

फा. सं. ए-45012/1/2018-प्रशा.III (वि.का).—भारत के बाईसवें विधि आयोग का गठन सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए करने के लिए एतद्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:-

(i) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;

(ii) चार पूर्णकालिक सदस्य (एक सदस्य-सचिव सहित);

(iii) सचिव, विधि कार्य विभाग, पदेन सदस्य के रूप में;

(iv) सचिव, विधायी विभाग, पदेन सदस्य के रूप में, और

(v) पांच से अनधिक अंशकालिक सदस्य

2. विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

3. उपर्युक्त पूर्णकालिक अध्यक्ष, सदस्यों (सदस्य-सचिव सहित) और अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति के निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(क) पूर्णकालिक अध्यक्ष/सदस्य

(1) **उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश**

(i) विधि आयोग के अध्यक्ष/सदस्य उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय से अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, अपने कृत्यों का पालन पूर्णकालिक आधार पर करेंगे ।

(ii) आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में कृत्यों का पालन करने में जो समय लगेगा उसे –

(क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में, समय-समय पर यथा संशोधित, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 2 (ख) (i) के; और

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में, समय-समय पर यथा-संशोधित, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 2 (ग) (i) के प्रयोजनों के लिए "वास्तविक सेवा" माना जाएगा ।

(iii) आयोग के अध्यक्ष/ सदस्य के कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसे, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने वेतन के अलावा और कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(iv) अध्यक्ष/सदस्य अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान, आयोग के कार्य के संबंध में की गई यात्राओं के लिए, यात्रा भत्ता उसी दर पर लेने का हकदार होगा जो उसे, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में देय है, अध्यक्ष/सदस्य पर निम्नलिखित लागू होंगे:

(क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1958 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा-भत्ता) नियम, 1959; और

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा-भत्ता) नियम, 1956 ।

(v) यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष/सदस्य स्वयं अपना नियंत्रक अधिकारी होगा ।

(ख) अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति

(i) अध्यक्ष को 2,50,000/- रु. (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र)(नियत) प्रतिमाह का वेतन प्राप्त होगा। सदस्य व्यक्ति होने की दशा में 2,25,000 रु.(दो लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) (नियत) प्रति माह देय होगा। (सेवानिवृत्त न्यायाधीश सहित) सेवानिवृत्त व्यक्ति की दशा में, मौजूदा सरकार निर्देशों के अनुसार उसे 2,50,000/- रु. अधिकतम या 2,25,000/- रु. प्रति माह, जैसा भी मामला हो, वेतन (जिसमें पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों का पेंशन समानक भी सम्मिलित है) प्राप्त होगा।

(ii) अध्यक्ष/सदस्य समान वेतन प्राप्त करने वाले केंद्रीय सरकारी अधिकारी को देय भत्तों और अन्य निबंधनों व शर्तों का भी हकदार होगा।

(iii) अध्यक्ष/सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से, पुनर्नियुक्त केंद्रीय सरकारी सेवक को लागू शर्तों के अधीन अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने का हकदार होगा।

(iv) यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष/सदस्य स्वयं अपना नियंत्रक अधिकारी होगा।

(v) अध्यक्ष/सदस्य केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन सरकारी सेवक को देय छुट्टियों का भी हकदार होगा। वह आयोग में कार्यकाल की समाप्ति पर छुट्टियों के नकद भुगतान का हकदार होगा परंतु ऐसे भुगतान के लिए दिनों की संख्या सरकार से सेवानिवृत्ति के समय (सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के मामले में) और आयोग में कार्यकाल की समाप्ति के समय को मिलाकर 300 दिन तक प्रतिबंधित रहेगी।

(ख) <u>पूर्णकालिक सदस्य-सचिव/सचिव</u>

(i) पूर्णकालिक सदस्य-सचिव भारत सरकार के सचिव के रैंक का भारतीय विधि सेवा का सेवारत सदस्य होगा।

(ग) <u>अंशकालिक सदस्य</u>

(i) अंशकालिक सदस्य को रु. 50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) प्रतिमाह का मानदेय प्रदान किया जाएगा।

(ii) आयोग के कार्य के संबंध में की जाने वाली यात्राओं के लिए उन अंशकालिक सदस्यों को, जो गैर-सरकारी सदस्य हैं, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारियों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ता देय होगा।

(iii) यदि ऐसी यात्रा वायुयान से की जाती है, वहां यात्रा की श्रेणी अर्थात इकानामी क्लास या एक्जीक्यूटिव क्लास का निर्णय अध्यक्ष और सदस्य-सचिव/सचिव करेंगे और अंशकालिक सदस्यों के मामले में, जो सरकारी सेवक हैं, आयोग के कार्य की बाबत यात्रा के लिए यात्रा भत्ता सरकारी सेवक के तौर पर उनके लिए लागू सुसंगत नियमों के अनुसार मिलेगा।

(iv) आयोग का अध्यक्ष अंशकालिक सदस्यों के यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए नियंत्रक अधिकारी होगा।

(v) आयोग के अंशकालिक सदस्यों के मामले में, वे स्थान जहां वे साधारणतया निवास करते हैं और जिनके बारे में पहले से ही नामित किया जाना हो, यात्रा-भत्ते के प्रयोजन के लिए उनके मुख्यालय होंगे।

(घ) आयोग का अध्यक्ष और सदस्य (सदस्य-सचिव को छोड़कर) अपने पद पर रहते हुए किसी मामले में मध्यस्थ के तौर पर कार्य नहीं करेगा। तथापि, केंद्रीय सरकार, उनकी नियुक्ति के समय उनके पास लंबित माध्यस्थम कार्य को छह माह से अनधिक अवधि के भीतर पूरा करने की अनुमति दे सकेगी।

4. 22वें विधि आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:

1. **<u>अप्रचलित विधियों की समीक्षा/निरसन</u>**

(i) उन विधियों की पहचान करना, जिनकी अब आवश्यकता नहीं रह गई है या जो अब प्रासंगिक नहीं हैं और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है।

(ii) उन विधियों की पहचान करना, जो वर्तमान आर्थिक उदारीकरण के माहौल के अनुरूप नहीं हैं और जिनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

(iii) उन विधियों की पहचान करना, जिनमें परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता है और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना ।

(iv) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विशेषज्ञ दलों द्वारा प्रस्तुत किए गए पुनर्विचार/संशोधन के सुझावों का समन्वय करते हुए उन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना।

(v) एक से अधिक मंत्रालयों/विभागों के कामकाज से संबंधित विधानों के बारे में मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से भेजे गए मामलों पर विचार करना।

(vi) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

ख. **विधि और निर्धनता** :

(i) ऐसी विधियों की समीक्षा करना जिनसे निर्धन व्यक्ति प्रभावित होते हैं और सामाजिक-आर्थिक विधानों की पश्च-समीक्षा करना ।

(ii) निर्धनों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया के सदुपयोग के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ।

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुरूप हो और विशेष रूप से -

(i) इस आधारभूत सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों को शीघ्र और कम खर्च पर निपटाने के उद्देश्य से विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वे साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करें; और

(iii) न्याय-प्रशासन से संबद्ध सभी के स्तरों में सुधार करने के लिए न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

घ. राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान विधियों की जांच करना तथा उनके विकास और उनमें सुधार के उपायों के लिए सुझाव देना और ऐसे विधानों का भी सुझाव देना जो निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने और संविधान की उद्देशिका में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।

ङ. लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्तमान विधियों की जांच करना तथा उनमें संशोधन का सुझाव देना ।

च. सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना, जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी असंगतियों, संदिग्धार्थताओं और असमताओं को दूर किया जा सके ।

छ. अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों या उनके ऐसे भागों, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, को निरसित करके कानून को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

ज. विधि और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर, जो उसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से निर्देशित किया जाए, विचार करना और उस पर अपने विचार सरकार को बताना ।

झ. अनुसंधान उपलब्ध कराने हेतु विदेशों से प्राप्त हुए निवेदनों पर विचार करना, जो उसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से निर्देशित किए जाएं ।

ञ. खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की जांच करना तथा हाशिये पर रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।

5. आयोग नोडल मंत्रालयों/विभागों और अन्य ऐसे पणधारियों, जिन्हें आयोग इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, के साथ परामर्श करने के पश्चात अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा।

6. विधि आयोग उपरिलिखित अपने विचारार्थ विषयों की मद सं0 "क" अर्थात "अप्रचलित विधियों की समीक्षा/निरसन" से संबंधित सभी मुद्दों का समयबद्ध रूप से अध्ययन करेगा और अप्रचलित विधियों के निरसन और अन्य विधियों में आवश्यकतानुसार उचित संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

7. आयोग अपनी रिपोर्टें हिन्दी और अंग्रेजी में, संसद के दोनों सदनों के सभापटलों पर रखने हेतु पर्याप्त प्रतियों में प्रस्तुत करेगा । विधि आयोग अपनी रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत करने के तुरंत पश्चात उन्हें अपनी वेबसाइट पर या अन्य तरीके से भी उपलब्ध कराएगा ।

8. विभिन्न विधि आयोगों द्वारा अब तक 277 रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं । ये सभी रिपोर्टें विधि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। चूंकि कई रिपोर्टें बहुत बड़ी हैं, शोधकर्त्ताओं को उन्हें ऑनलाइन पूरा पढ़ पाने में कठिनाई होगी । अत: विधि आयोग द्वारा अपनी सभी रिपोर्टों के सारांश को आनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि शोधकर्त्ता अपने क्षेत्र के विषयों को आसानी से देख/पढ़ सकें और न्यायाधीश, वकील, विधि के शिक्षक और छात्र विधि आयोग की विभिन्न सिफारिशों से आसानी से अवगत हो सकें।

9. विधि आयोग देश और विदेश के प्रख्यात विधि विश्वविद्यालयों/विधि विद्यालयों और नीति विषयक अनुसंधान संस्थानों के साथ भागीदारी नेटवर्क विकसित कर सकेगा। आयोग भारत में मान्यताप्राप्त विधि महाविद्यालयों/विद्यालयों/विश्वविद्यालयों के नए स्नातकों/विद्यार्थियों को अपने स्वैच्छिक इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान कर सकेगा। इस कार्यक्रम का विवरण आयोग की वेबसाइट पर दिया जा सकेगा।

10. विधि आयोग उसे अध्ययनार्थ भेजी गई विशेष परियोजनाओं की प्रकृति और तात्कालिकता को देखते हुए परामर्शदाताओं/विधिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति भी कर सकेगा।

11. जहां तक चालू वित्त वर्ष 2019-2020 का संबंध है, आयोग पर होने वाला व्यय विधि और न्याय मंत्रालय की मांग सं. 61 में मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-लघु शीर्ष 00.105-विशेष जांच आयोग-01-विधि आयोग के नामे डाला जाएगा। वित्त वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लिए व्यय की व्यवस्था संसद द्वारा उन वर्षों के लिए दत्तमत अनुदानों में से की जाएगी।

12. यह आदेश वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 17 सितंबर, 2019 के का.ज्ञा.सं. 3(4)ई.कोऑर्ड/2018 के तहत उनकी सहमति से और दिनांक 21 फरवरी, 2019 की संसूचना सं. 7/सी.ऍम./2020 के तहत मंत्रिमंडल के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

डॉ. राजीव मणि, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

ORDER

New Delhi, the 21st February, 2020

Subject: Constitution of Twenty-second Law Commission of India for a term of three years – reg.

F. No. A-45012/1/2018-Admn. III (LA).—The sanction of the President is hereby accorded to the constitution of the Twenty-second Law Commission of India for a period of three years from the date of publication of this Order in the Official Gazette consisting of:

(i) a full-time Chairperson;

(ii) four full-time Members (including Member-Secretary);

(iii) Secretary, Department of Legal Affairs as *ex officio* Member;

(iv) Secretary, Legislative Department as *ex officio* Member; and

(v) not more than five part-time Members.

2. The Headquarters of the Law Commission shall be at New Delhi.

3. Sanction of the President is also accorded to the following terms and conditions of appointment of the above-mentioned full-time Chairperson and Members (including Member-Secretary) and part-time Members: -

(A) FULL-TIME CHAIRPERSON/ MEMBERS

(a) **SERVING JUDGES OF SUPREME COURT/HIGH COURT**

(i) The Chairperson/Members of the Law Commission shall perform their functions on a whole-time basis up to the date of retirement from the Supreme Court/High Court or expiry of the term of the Commission, whichever be earlier.

(ii) The time spent in the performance of such functions as Chairperson/ Member of the Commission shall be treated as "actual service" for purposes of: -

(a) in the case of a Supreme Court Judge, Section 2(b)(i) of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958, as amended from time to time;

(b) in the case of a High Court Judge, Section 2(c)(i) of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954, as amended from time to time.

(iii) No additional remuneration apart from the salary, as a Judge of the Supreme Court or High Court, as the case may be, shall be admissible for performing the functions and duties of Chairperson/ Member of the Commission.

(iv) For journeys performed in connection with the work of the Commission during the period of his assignment, the Chairperson/Member shall be entitled to draw travelling allowance at the same rate as admissible as a Judge of the Supreme Court or High Court, as the case may be and in all other matters, the Chairperson/Member will be governed by:

(a) the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 and the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, in the case of a Judge of the Supreme Court;

(b) the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956, in the case of a Judge of a High Court.

(v) The Chairperson/Member shall be his own Controlling Officer for the purpose of travelling allowance.

(b) **OTHER CATEGORY OF PERSONS**

(i) The Chairperson shall be paid Rs. 2,50,000/- (Rupees Two Lakh Fifty Thousand only) (fixed) per month. In case of Members, a pay of Rs. 2,25,000/- (Rupees Two lakh twenty-five thousand only) (fixed) per month will be admissible. In the case of a retired person (including retired judges) the pay (including pension or pension equivalent to the retirement benefits) not exceeding Rs. 2,50,000/- or Rs. 2,25,000/- per month, as the case may be, shall be admissible as per existing Government instructions.

(ii) The Chairperson/Member shall be entitled to allowances and other terms and conditions as are admissible to an officer of the Central Government getting equal pay.

(iii) The Chairperson/Member shall be entitled to make contributions to the contributory provident fund from the date of appointment in accordance with the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, subject to such conditions as are applicable to re-employed Central Government servant.

(iv) The Chairperson/Member shall be his own controlling officer for the purpose of travelling allowance.

(v) The Chairperson/Member shall be entitled to leave as admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 and shall also be entitled to encashment of leave at the end of tenure in the Commission, provided that the total number of days of encashment of leave taken on retirement from Government (in case of retired Government servant) and at the end of tenure in the Commission shall be restricted to 300 days.

(B) FULL-TIME MEMBER-SECRETARY/ SECRETARY

(i) Full-time Member-Secretary shall be a serving Member of the Indian Legal Service in the rank of Secretary to the Government of India.

(C) PART-TIME MEMBERS

(i) A Part Time Member shall be paid an honorarium of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty thousand only) per month.

(ii) For the journeys performed in connection with the work of the Commission, the travelling allowance of the part-time Members who are non-officials shall be as admissible to officers of the level of Joint Secretary in the Government of India.

(iii) If the journey is performed by air, the Chairperson and Member-Secretary / Secretary, shall decide the class of travel i.e. economy class or executive class and in the case of part-time Members, who are Government servants, the travelling allowance for journeys in respect of the work of the Commission shall be governed by the relevant rules applicable to them as Government servant.

(iv) The Chairperson of the Commission shall be the controlling officer for the purpose of the travelling allowance of the part-time Members.

(v) In the case of Part-time Members of the Commission, the ordinary place of their residence, to be named in advance shall be their respective Headquarters for the purpose of travelling allowance.

(D) The Chairperson and Members (excluding the Member Secretary) of the Commission, while holding the office shall not act as arbitrator in any matter. However, the Central Government may permit them to complete pending arbitrations with them at the time of their appointment, within a period not exceeding six months.

4. The terms of reference of the Twenty-second Law Commission shall be as under:

A. Review/Repeal of obsolete laws:

(i) Identify laws which are no longer needed or relevant and can be immediately repealed.

(ii) Identify laws which are not in harmony with the existing climate of economic liberalisation and need change.

(iii) Identify laws which otherwise require changes or amendments and to make suggestions for their amendment.

(iv) Consider in a wider perspective the suggestions for revision/amendment given by Expert Groups in various Ministries/Departments with a view to coordinating and harmonizing them.

(v) Consider references made to it by Ministries/Departments through the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, in respect of legislations having bearing on the working of more than one Ministry/Department.

(vi) Suggest suitable measures for quick redressal of citizens grievances, in the field of law.

B. Law and Poverty:

(i) Examine the laws which affect the poor and carry out post-audit for socio-economic legislations.

(ii) Take all such measures as may be necessary to harness law and the legal process in the service of the poor.

C. Keep under review the system of judicial administration to ensure that it is responsive to the reasonable demands of the times and in particular to secure:

(i) elimination of delays, speedy clearance of arrears and reduction in costs so as to secure quick and economical disposal of cases without affecting the cardinal principle that decision should be just and fair.

(ii) simplification of procedure to reduce and eliminate technicalities and devices for delay so that it operates not as an end in itself but as a means of achieving justice.

(iii) improvement of standards of all concerned with the administration of justice.

D. Examine the existing laws in the light of Directive Principles of State Policy and to suggest ways of improvement and reform and also to suggest such legislations as might be necessary to implement the Directive Principles and to attain the objectives set out in the Preamble of the Constitution.

E. Examine the existing laws with a view for promoting gender equality and suggesting amendments thereto.

F. Revise the Central Acts of general importance so as to simplify them and to remove anomalies, ambiguities and inequities.

G. Recommend to the Government measures for making the statute book up to date by repealing obsolete laws and enactments or parts thereof which have outlived their utility.

H. Consider and convey to the Government its views on any subject relating to law and judicial administration that may be specifically referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).

I. Consider the requests for providing research to any foreign countries as may be referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).

J. Examine the impact of globalization on food security, unemployment and recommend measures for the protection of the interests of the marginalised.

5. The Commission shall concretise its recommendations after consultation with the nodal Ministry/Department(s) and such other stakeholders as the Commission may deem necessary for the purpose.

6. The Commission shall devote its time bound attention to all issues relating to item 'A' of the terms of reference as indicated above, viz., review/repeal of obsolete laws and shall make its recommendations to Government for repeal of obsolete laws and for appropriate amendments in others as may be found necessary on top priority basis.

7. The Commission shall submit its reports in Hindi and English with sufficient number of copies for being placed on Tables of both houses of Parliament and shall also make its reports available through website or otherwise as soon as reports are submitted to the Government.

8. Various Law Commissions have given 277 Reports so far. All of them are made available on the website of Law Commission. Since many of the Reports are voluminous it will be difficult for researchers to read an entire Report online. To facilitate the researchers to choose the topics of their area and to create awareness amongst Judges, Lawyers, Law Teachers and Students on the various recommendations of the Law Commission, a brief summary of all the Reports of the Law Commission shall be made available by the Law Commission, online.

9. The Commission may develop partnership network with reputed Law Universities/Law Schools and policy research institutions in the country and abroad. The Commission may also provide opportunities to fresh graduates/students in law from recognized law colleges/schools/universities in India, under its voluntary internship programme, the details of which may be given on its website.

10. The Commission may also engage consultants / legal consultants for specific projects depending on the nature and urgency of the topics referred to it.

11. The expenditure involved is debitable to the Major Head 2070 – Other Administrative Services – Minor Head 00.105 – Special Commissions of Enquiry – 01 – Law Commission, under Demand No.61, Ministry of Law and Justice, in so far as the current financial year 2019-2020 is concerned. As regards the financial years 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023, the expenditure will be met from the corresponding Grants that may be voted by Parliament for those years.

12. This order issues with the concurrence of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their OM No. 3(4)E. Coord/2018 Dated 17th September, 2019 and also with the approval of the Cabinet vide their communication No. 7/CM/2020 Dated 21st February, 2020.

Dr. RAJIV MANI, Jt. Secy. & Legal Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.24 22:53:33 +05'30'